भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
(भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का वैधानिक निकाय)
'ए' विंग, दूसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
[**दूरभाष**:011-26184149, **ई-मेल:** vciinfo@nic.in]

सार्वजनिक सूचना

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984' के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य बी.वी.एससी. एवं ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम की पशु चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करना है।

इसलिए, सभी छात्रों, अभिभावकों, हितधारकों एवं आमजन को सलाह दी जाती है कि वे बी.वी.एससी. एवं ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले, 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984' और इसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के अनुसार, संबंधित पशुचिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान की प्रमाणिकता और उसकी मान्यता (या अनंतिम मान्यता) की जांच अवश्य कर लें।

प्रवेश शुल्क जमा करने या मूल दस्तावेज सौंपने से पहले, आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि: -

(i) महाविद्यालय कानूनी रूप से स्थापित है और उसे बी.वी.एससी. एवं ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता (या अनंतिम मान्यता) प्राप्त है।

(ii) महाविद्यालय के पास संबंधित शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम चलाने की वैध मंजूरी और प्राधिक्रत है।

(iii) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा दी गई जानकारी - जिसमें उसका पता, वेबसाइट, बी.वी.एससी. एवं ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदंड और प्रवेश प्रक्रिया शामिल हैं - पूरी तरह से सही और सत्यापित करने योग्य है।

छात्रों, अभिभावकों, हितधारकों एवं आमजन को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जानकारी की पुष्टि वीसीआई की आधिकारिक वेबसाइटों - www.vci.dahd.gov.in और www.vci.admissions.nic.in से करें।

हस्ताक्षर/-
(डॉ. राजेंद्र बाम्बल)
सचिव, वी.सी.आई. (अतिरिक्त प्रभार)

Veterinary Council of India
(Statutory Body of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India)
'A' Wing, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066
Ph:011-26184149 , Email:-vciinfo@nic.in

PUBLIC NOTICE

Veterinary Council of India, New Delhi is a statutory body of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India and established under the provision of Indian Veterinary Council Act, 1984 for regulation of veterinary education of B.V.Sc. & A.H. degree course.

Hence, all students, parents, stakeholders and the general public are hereby advised to verify the authenticity, provisional recognition/ recognition of veterinary college/institution under the provision of Indian Veterinary Council Act, 1984 and Rules & Regulations framed thereunder before taking admission to B.V.Sc. & A.H. degree Course.

Before depositing any admission fee or submitting original documents applicant should ensure that: -

(1) The College is legally established and provisionally recognized /recognized by Central Government for imparting B.V.Sc. & A.H. degree course.

(ii) The College has valid approval and authorization to conduct the course for the relevant academic session.

(iii) The details provided by the College/institution, including its address, website, criteria for admission to B.V.Sc. & A.H. Course, admission process, are genuine and verifiable.

Students, parents, stakeholders and the general public are hereby advised to verity the relevant information from the official VCI website namely www.vci.dahd.gov.in and www.vci.admissions.nic.in

Sd/-
(Dr. Rajendra Bambal)
Secretary, VCI (Addl. Charge)